न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास– पीयुष समारिया, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –192/2022
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर – 2022/243

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
लक्ष्मणराम पुत्र तुलछाराम जाति जाट निवासी गंठिलासर,तहसील व जिला नागौर।		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नागौर।

उपस्थितिः–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री भंवरलाल पोटलिया।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनिया।

निर्णय दिनांक 21.09.2022

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत नायब तहसीलदार नागौर द्वारा प्रकरण संख्या 12/2022 सरकार बनाम लक्ष्मणराम में पारित निर्णय दिनांक 27.06.2022 से असंतुष्ट होकर दिनांक 01.07.2022 को प्रस्तुत की गई। अपीलान्ट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पर वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि पटवारी हल्का गंठिलासर द्वारा एक रिपोर्ट तहसीलदार नागौर के समक्ष इस आशय की पेश की गई कि खसरा नम्बर 274 के 896 वर्गमीटर गैर मुमकिन रास्ता पर संवत 2079 में गैर सायल द्वारा अतिक्रमण किया है, उक्त रिपोर्ट के आधार पर नायब तहसीलदार नागोर ने अपीलांट को संवत 2079 में उक्त भूमि पर अतिकमी मानकर 13 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया एवं पटवारी हल्का को आदेशित किया कि अपीलांट की खडी फसल को कुर्क कर नीलामी कर अतिक्रमी के रकबे पर से भौतिक रूप से बेदखल किया जाकर रिपोर्ट पेश करे। उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलांट की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

निर्णय जेर अपील खिलाफ कानून तथ्यो व परिस्थितियों के विरूद्व साक्ष्य व रेकर्ड के विरूद्ध तथा मौके की स्थिति के विरूद्व होने के अतिरिक्त प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अपीलांट को दिनांक 10.06.2022 का नोटिस प्राप्त हुआ, जिस पर अपीलांट ने नोटिस का जवाब पेश कर अनुरोध किया कि खसरा नम्बर 274 गैर मुमकिन रास्ता मुझ प्रार्थी के पिता तुलछाराम पुत्र श्री सिरदाराराम जाति जाट निवासी गंठिलासर के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 258 व 284 वाके सरहद मौजा गंठिलासर के बीच में से वर्षो पुराना रास्ता है एवं उक्त रास्ते के दोनो तरफ वर्षो पुरानी पटिटयां रोपकर तारबंदी की गई है। खसरा नम्बर 284 में मुझ प्रार्थी की एक ढाणी व मुझ प्रार्थी के भाई भोमाराम की ढाणी बनी हुई हैं, जहां पर पशुओ के बाडे, पानी के टांके बने हुए है। ढाणियां पच्चास वर्ष पूर्व की बनी हुई हैं, जिनमे 100–100 पट्टियां चढी हुई है। इस प्रकार ढाणियां बनाने व टांका बनाने में कई वर्ष लग गये। ढाणियो में पच्चास वर्ष पुराने वृक्ष लगे हुए है। उक्त स्थान पर किसी भी प्रकार का रास्ता कटाणी रास्ता नहीं हो सकता। कटाणी रास्ता जवाब के साथ संलग्न नक्शे में ए से बी स्थान पर है। जिसको पटवारी हल्का व आर आई हल्का ने भी अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 24.02.2021 में दर्शाया है। इस प्रकार नोटिस सर्वथा गलत व बेबुनियाद है। प्रार्थी के पिता के खेत खसरा नम्बर 284 व 258 के बीच ए से बी स्थान पर संलग्न नक्शे अनुसार कटाणी रास्ता खसरा नम्बर 274 गैर मुमकिन रास्ता है। जिस पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नही है। जिसके दोनो तरफ पटिटयां रोपकर तारबंदी की हुई है। जिसका सत्यापन प्रार्थी के पिता द्वारा सहायक कलक्टर नागौर के राजस्व वाद संख्या 60/2013 बअनवान तुलछाराम बनाम भगवानाराम के प्रकरण में पटवारी हल्का व आरआई हल्का द्वारा भेजी गई प्राथमिक डिकी से होता है। जिसमे प्राथमिक डिकी की पालना में मौके पर विभाजन कर पटवारी हल्का ने ए सें बी स्थान पर रास्ता दर्शाया है। जो सही है। संलग्न नक्शे में डी से सी डामर की सडक है। इसी प्रकार सी

कलक्टर,नागौर

से ए स्थान पर भी डामर की सडकं है। ई से एफ खेतास की कांकड़ से गंठिलासर जाने वाली मुडिया सडक है। इस प्रकार उपरोक्त डामर की सडको से नक्शे का मिलान करने पर भी मौके पर रास्ता ए से वी स्थान पर ही आता है। इसके अतिरिक्त डामर की सडक सी से ए सडक पर एक सरकारी टांका राजस्व नक्शे में खसरा नम्बर 89 है। जिससे मिलान करने पर भी नक्शे के अनुसार रास्ता ए से बी स्थान पर ही आता है। उपरोक्त फिक्स बिन्दूओ से नाप किये बिना ही पटवारी हल्का ने प्रार्थी के खिलाफ नोटिस कतई गलत तैयार किया है। जो निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत गंठिलासर प्रार्थी के खिलाफ है एवं प्रार्थी के पिता के द्वारा वर्षों पूर्व बनाई हुई ढाणियो को नष्ट करने एवं वर्षो, बाडो को नष्ट करने के उद्देश्य से सैकडो वर्ष पूर्व बनी पुरानी पक्की ढाणियो को रास्ता ए से बी .स्थान से बदलकर नष्ट करना चाहते हैं, जो कतई न्यायोचित नही है। वर्तमान चल रहा रास्ता सैकडो वर्ष पुराना है। उसी के अनुसार ही वर्तमान तरमीम की जाना भी न्याय संगत है। उक्त रास्ते को पूर्व में ए से बी स्थान पर पटवारी हल्का व आर आई हल्का ने माना है। लेकिन पटवारी हल्का को ग्राम पंचायत ने दबाव में लेकर रास्ते का स्थान परिवर्तित करने को मजबूर कर दिया, जिससे मुझ प्रार्थी की ढाणियो को नुकसान पहुंचाया जा सके। खसरा नम्बर 274 के दोनो तरफ मुझ प्रार्थी के पिता के खातेदारी का खेत है एवं उक्त रास्ता दो डामर की सडको को जोड़ता है, जो सीधा भी है। किसी भी प्रकार का कोई विवाद भी नही हैं, फिर भी बिना किसी विवाद के हम प्रार्थी के खेतो के स्वरूप को नोटिस देकर बदयान्ति से बदला जा रहा है। रास्ता बदल जाने से प्रार्थी के खेतो की सींवे नष्ट होगी, ढाणियां बर्बाद होगी, वृक्ष बर्बाद होंगे। बिना फिक्स बिन्दू से नाप चौप किये पटवारी हल्का को इस प्रकार का नोटिस न्यायालय में पेश करना न्यायोचित नही है। प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 284 व 258 के मध्य कटाणी रास्ता है। उस रास्ते का नाप फिक्स बिन्दू ए से सी स्थान पर बनी हुई कटाणी सडक पर सरकारी टांके से करवाया जाना न्याय संगत हैं, इसके अलावा डामर की सडके ए से सी, सी से डी, ई से एफ से भी राजस्व नाप चौप करने वाला आरआई की टीम गठित कर नाप करवाये जाने के बाद ही सही निर्णय पारित किया जा सकता है। जिन तथ्यो को नजर अंदाज कर अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय जेर अपील पारित किया हैं, जो अपास्त किये जाने योग्य है।

प्राकृतिक न्याय का यह सुस्पष्ट सिद्धान्त है कि किसी भी पक्षकार के विरूद्ध निर्णय पारित करने से पूर्व उसे साक्ष्य, सबूत व जवाब प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए, मगर वर्तमान प्रकरण में मातहत न्यायालय ने इसकी मात्र खानापूर्ति की, अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना लिखित जवाब व उसके अनुसमर्थन में जो सुदृढ दस्तावेजात प्रस्तुत किये, उन पर कोई गौर, सुसंगत व स्पष्ट टिप्पणी व जांच तक नही की व करवाई गई तथा महत्वपूर्ण बिन्दूओ को नजरअंदाज कर सरसरी तौर पर निर्णय पारित कर न्यायिक विवेक का इस्तेमाल किये बिना व अपने में निहित क्षेत्राधिकारो का गलत रूप से प्रयोग करते हुए. निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत निर्णय नही होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर ही केवल मात्र कागजी तथ्यों के आधार पर धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है एवं पटवारी हल्का गंठिलासर के बयान लिये बिना ही एवं मुझ गैर सायल अपीलांट द्वारा हल्का पटवारी से जिरह एवं अन्य साक्ष्य सबूत का अवसर दिये बिना ही निर्णय जेर अपील पारित करने में बड़ी भारी कानूनी व विधिक भूल की हैं, जिससे भी निर्णय जेर अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 10.06.2022 को जवाब पेश होने पर बिना पटवारी हल्का की साक्ष्य लिये ही पत्रावली बहस पर रख दी गई एवं दिनांक 27.06.2022 को निर्णय पारित कर दिया। उक्त निर्णय में मुझ अपीलांट ने जिन जिन फिक्स बिन्दूओ से नाप करने का अनुरोध किया था, उन फिक्स बिन्दूओ से कोई नाप नही किया गया। जो सरकारी हौज एवं डामर की सडके हैं, उनसे भी मौके पर कोई रास्ते का मिलान नही किया गया एवं बिना नाप चौप के ही व बिना अपीलांट की साक्ष्य सबूत लिये ही विरोधी पार्टी से मिलावट कर प्रार्थी की फसल को नष्ट करने पर उतारू है।

अपीलांट ने जवाब के साथ जो नक्शा पेश किया हैं, वो न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिकी का नक्शा हैं, जिसको पटवारी हल्का स्वयं ने तैयार किया है एवं मौके पर खेतो का विभाजन बताया हैं, मौके पर रास्ते के दोनो तरफ तारबंदी व बाड की हुई हैं, रास्ते के दोनो तरफ प्रार्थी की ढाणियां बनी हुई है एवं रास्ता वर्षो पुराना खुला पड़ा है। इस प्रकार के तथ्यों को नहीं मानने का निर्णय जेर अपील में कोई विवेचन नही किया हैं।

प्रार्थी के जवाब के अनुसार जिन जिन फिक्स बिन्दूओ से नाप चौप करने का अनुरोध किया हैं, उनसे पुनः नाप चौप नही करने का कोई कारण भी अंकित नही किया गया है। मौके पर रास्ता खुला है उसके उपरांत भी श्रीमान तहसीलदार साहब, पटवारी हल्का एवं आर आई हल्का मौके पर

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर, नागौर

खड़ी फसल को नष्ट करने पर आमादा है एवं निर्णय के मात्र दो दिन बाद हीं इस तरह की गलत व गैर कानूनी कार्यवाही करने पर उतारू हैं, जबकि रास्ते के दोनो तरफ अपीलांट' के खातेदारी के खेत है और "किसी प्रकार की कोई अर्जेन्सी भी नही हैं, जिससे भी स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय जानबूझकर विरोधी पार्टी से मिलावट कर प्रार्थी को नुकसान पहुंचाने की गरज से कार्यवाही कर रहे है।

मौके पर स्वीकृत तौर पर रास्ता खुला हैं। प्रार्थी की रास्ते के दोनो तरफ फसल काश्त की हुई है। सुनवाई के दौरान अगर प्रार्थी के रास्ते के दोनो तरफ की सींवे नीवे नष्ट कर दी गई तो पच्चास हजार रूपये से अधिक का नुकसान प्रार्थी को होगा एवं फसल को नष्ट कर दिया गया अथवा सैकडो वर्ष पुरानी इमारतो को नष्ट किया गया तो भी अपीलांट को भारी क्षति होगी, जिसका मुआवजा किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं होने का कथन करते हुए वकील अपीलान्ट ने अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर द्वारा धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में प्रकरण संख्या 12/2022 बअनवान सरकार बनाम लक्ष्मणराम में पारित आदेश दिनांक 27.06.2022 को खारिज किये जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनिया ने बहस में कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा ग्राम गंठिलासर के खसरा नम्बर 274 गैर मुमकिन रास्ता की 896 वर्गमीटर भूमि पर अतिक्रमण करने की भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा सत्यापित रिपोर्ट पटवारी गठिलासर द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज है, जो सार्वजनिक उपयोग उपभोग की भूमि है। पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा मौके पर जाकर मौक देखकर अपीलान्ट का अतिक्रमण पाये जाने पर ही उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। वकील अपीलान्ट का जहां तक सीमाज्ञान को लेकर कथन है, सीमाज्ञान एक पृथक कार्यवाही है। सीमाज्ञान हेतु अपीलान्ट सक्षम स्तर पर विधिवत कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सीमाज्ञान नहीं करवाया गया केवल इस कथन मात्र से पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक जिनके द्वारा मौके पर जाकर अपीलान्ट के अतिकमण को चिन्हित कर तत्पश्चात रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। अपीलान्ट येनकेन प्रकार से रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण कर उक्त भूमि हड़पना चाहता है, का कथन करते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण रिकार्ड का अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा ग्राम गंठिलासर के खसरा नम्बर 274 गैर मुमकिन रास्ता की 896 वर्गमीटर भूमि पर अतिक्रमण करने की भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा सत्यापित रिपोर्ट पटवारी गठिलासर द्वारा अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार नागौर के समक्ष प्रस्तुत की गई है, जिस पर अपीलान्ट के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जैर अपील पारित किया गया है। भू–अभिलेख निरीक्षक से सत्यापित पटवारी की उक्त रिपोर्ट अनुसार उक्त विवादित भूमि राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज है, जो सार्वजनिक उपयोग उपभोग की भूमि है। राजपैरोकार का कथन है कि पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा मौके पर जाकर मौक देखकर अपीलान्ट का अतिक्रमण पाये जाने पर ही उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। वकील अपीलान्ट का जहां तक सीमाज्ञान को लेकर कथन है, उक्त संबंध में राजपैरोकार का कथन कि सीमाज्ञान एक पृथक कार्यवाही है एवं सीमाज्ञान हेतु अपीलान्ट सक्षम स्तर पर विधिवत कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र है, उक्त कथन उचित प्रतीत होता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सीमाज्ञान नहीं करवाने मात्र से पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक जिनके द्वारा मौके पर जाकर अपीलान्ट के अतिकमण को चिन्हित कर तत्पश्चात रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर द्वारा पारित निर्णय जैर अपील की पुष्टि की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय को उनकी मूल पत्रावली लौटाते हुऐ निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर,नागौर

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)